फा.सं.: पी-13013/55/2024-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी (ई-38550)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(स्थापना अनुभाग)

*****

5 वां तल, बी-I विंग, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 13 अगस्त, 2024

विषय: संविदा आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जनशक्ति की नियुक्ति-के संबंध में।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पात्र व्यक्तियों से विभाग में संविदात्मक नियुक्ति के लिए निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	**पद का विवरण**	**आयु**	**अनिवार्य योग्यता**	**अनुभव**	**मासिक पारिश्रमिक**
1.	**यंग प्रोफेशनल (सामान्य)** (01)	विज्ञापन की तिथि के दिन आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए	**<u>01 पद के लिए:-</u>** **अनिवार्य:** अधिमानतः लेखा / वाणिज्य / प्रबंधन / अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्नातकोत्तर। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेखा / वाणिज्य / प्रबंधन / अर्थशास्त्र के क्षेत्र में न्यूनतम स्नातक उपाधि।	संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी	**स्नातकोत्तर** 60,000/- रु. (करों सहित) **स्नातक** 50,000/- रु. (करों सहित)

2. विज्ञापित पद के लिए विस्तृत विचारार्थ विषय एतद् द्वारा संलग्न हैं।

3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बिना किसी कारण को बताए आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. परामर्शदाताओं से संबंधित मुद्दों के लिए निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर विभाग द्वारा बनाए गए एवं संशोधित दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित की जाएंगी।

**5.	इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न प्रोफार्मा में अपना आवेदन अवर सचिव (श्री जसबीर सिंह), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नं. 520, 5वीं मंजिल, बी -II विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 को संबोधित करते हुए मेल udidteam2017@gmail.com के माध्यम से भेज सकते हैं।**

6.	आवेदक के पास एक वैध निजी ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसे कम से कम इस नियुक्ति प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। विभाग उक्त ईमेल आईडी पर सभी सूचनाएं भेजेगा । यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध निजी ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने से पहले एक निजी ईमेल आईडी बनानी चाहिए।

7.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2024 है ।

संलग्नक: विज्ञापित पद के लिए विस्तृत विचारार्थ विषय और आवेदन के लिए प्रपत्र।

हस्ताक्षरित/-
(जसबीर सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. विभाग की वेबसाइट (अर्थात् disabilityaffairs.gov.in) के माध्यम से व्यापक प्रचार।
3. विभाग के उप सचिव (मीडिया) - हिंदी भाषा के एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र और साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ।

युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए विचारार्थ विषय (सामान्य)

1.	पद का नाम	:	**युवा पेशेवर (01)**
2.	पद का विवरण	:	**सामान्य अभ्यर्थी -01**
3.	नियुक्ति की अवधि	:	प्रारंभ में 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए निष्पादन के मूल्यांकन, परस्पर इच्छा और विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा को आगे बढ़ाया जा सकता है।
4.	नियुक्ति की प्रकृति	:	विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए, चाहे जो भी कारण हो, साबित कदाचार के आधार पर, बिना पारिश्रमिक या नोटिस अवधि के बिना, तत्काल प्रभाव से इसे समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, सामान्य स्थिति में, संविदा कर्मचारी को संविदा समाप्त होने से पहले दो महीने की नोटिस अवधि या नोटिस अवधि के बदले दो महीने का वेतन दिया जाएगा।
5.	कर्तव्यों का दायरा	:	क. विभाग द्वारा सौंपी गई परियोजना का प्रबंधन करना ख. विभाग द्वारा ई-ऑफिस पर सौंपे गए मामलों का निपटान। ग. जहां तैनाती है वहां के अनुभागों के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करना। घ. सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए सारांश और संक्षिप्त विवरण तैयार करना ङ. अंतर-मंत्रालयी, अंतः-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय समन्वय च. बैठक में भाग लेना, बैठक का कार्यवृत्त और संक्षिप्त विवरण तैयार करना छ. विभाग के संगठनों को व्यक्तिगत सहायता और संपर्क करना ज. आवंटित कार्य का फॉलो अप करना। झ. सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत और समीक्षा करने के लिए पोर्टल पर डेटा अद्यतन करना ञ. विभाग द्वारा सौंपे गए अन्य कोई कर्तव्य।
6.	नौकरी का स्थान	:	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
7.	पात्रता और शैक्षणिक योग्यता	:	**<u>01 पद के लिए:-</u>** **अनिवार्य:** अधिमानतः लेखा / वाणिज्य / प्रबंधन / अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्नातकोत्तर। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेखा / वाणिज्य / प्रबंधन / अर्थशास्त्र के क्षेत्र में न्यूनतम स्नातक।
8.	अनुभव	:	संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी
9.	आयु सीमा	:	उम्मीदवार की आयु विज्ञापन की तिथि को 30 वर्ष से कम होनी चाहिए।
10.	पारिश्रमिक और पात्रता	:	**स्नाकोत्तर के लिए:** समेकित मासिक पारिश्रमिक रु. 60,000/- **स्नातक:** समेकित मासिक पारिश्रमिक रु. 50,000/-

11.	भत्ते	:	युवा पेशेवर किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं होंगे।
12.	छुट्टी	:	युवा पेशेवर यथानुपात आधार पर 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने के हकदार होंगे। एक वर्ष की संविदा के दौरान न ली गई छुट्टी को न तो अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाएगा और न ही नकद बनाया जा सकता है।
13.	अनुबंध की समाप्ति	:	क. विभाग किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि: ख. युवा पेशेवर सौंपे गए कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने में असमर्थ है; ग. युवा पेशेवर में ईमानदारी और निष्ठा की कमी पाई जाती है या वह गोपनीयता के खंड का उल्लंघन करता है; घ. युवा पेशेवर बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है; ङ. विभाग अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के अंत में संविदा को नवीनीकृत नहीं करने का विकल्प चुनता है; च. कोई अन्य कारण।
14.	पूर्व सूचना की आवश्यकता	:	यदि यंग प्रोफेशनल रखे जाने की अवधि समाप्त होने से पूर्व संविदा को समाप्त करना चाहता है, तो वह विभाग को 60 दिनों का नोटिस या नोटिस अवधि के बदले दो महीने का वेतन देने पर ऐसा कर सकता है।
15.	गोपनीयता खंड	:	क. विभाग के साथ सेवा अवधि या रखे जाने के दौरान, यंग प्रोफेशनल आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन होंगे और विभाग में अपने रखे जाने की अवधि के दौरान किसी भी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे जो इसके लिए अधिकृत नहीं है। ख. यंग प्रोफेशनल पूर्ण अखंडता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और उसके द्वारा संभाली गई जानकारी को गोपनीय और गुप्त बनाए रखेंगे। संविदा की समाप्ति के बाद भी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। ग. यंग प्रोफेशनल किसी भी मामले में, विभाग के साथ अपने रखे जाने की अवधि के दौरान किसी भी मामले में अदालत या किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण, न्यायाधिकरण आदि के लिए काम या प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे या विभाग के अलावा किसी भी व्यक्ति को सलाह / परामर्श नहीं देंगे।
16.	हित संघर्ष	:	यंग प्रोफेशनलों से सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए निर्धारित सामान्य आचरण नियमों और विनियमों का पालन करने की उम्मीद की जाएगी। यदि युवा प्रोफेशनलों की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं अथवा सरकारी कार्यकलापों के हितों के विरुद्ध पाई जाती हैं। तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवाएं समाप्त/बंद की जा सकती है।
17.	काम के घंटे	:	यंग प्रोफेशनल निर्धारित सामान्य कामकाजी घंटों का पालन करेंगे (यानी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 09.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक)। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए समयबद्ध काम को पूरा करने के लिए उन्हें देर तक बैठना पड़ सकता है या छुट्टियों में कार्यालय आना पड़ सकता है। उपस्थिति बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में ____ पद के लिए आवेदन का प्रोफॉर्मा।

नवीनतम
पासपोर्ट आकार
की तस्वीर
चिपकाएं

बायोडाटा

क. आवेदन किए गए पद का नाम:
(कृपया आवेदन के पद के नाम का उल्लेख करें)

ख. व्यक्तिगत जानकारी:

1.	पूरा नाम (साफ अक्षरों में)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	पत्र-व्यवहार के लिए पता	
4.	टेलीफोन/मोबाइल नं.	
5.	ई-मेल आईडी	
6.	जन्म तिथि	
7.	आयु 01.07.2024 को	
8.	10 वीं कक्षा एवं उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता (कृपया प्रमाण पत्र / मार्क शीट की प्रति संलग्न करें)	
9.	व्यावसायिक योग्यता	
10	क्या आप बेंचमार्क दिव्यांगजन हैं (यदि हाँ, तो कृपया दिव्यांगता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	

ग. वैध दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पिछले रोजगार/अनुभव का विवरण (कालक्रम में)

संगठन का विवरण	रोजगार की अवधि	किए गए असाइनमेंट की प्रकृति	अंतिम आहरित वेतन

घ. **घोषणा: -** घोषित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं समझता हूं कि यदि ऊपर दी गई कोई भी सूचना, नियुक्ति से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो मेरी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और मेरे खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक:

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :